न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनोज, (**RAS**)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 173/2022 **GCMS 2022/349**

प्रार्थीगण

1. खेमाराम पुत्र भंवरलाल जाति कुमावत निवासी ग्राम सिन्धपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर, राजस्थान

बनाम

अप्रार्थी

1. रामपाल पुत्र भंवरलाल जाति कुमावत निवासी सिन्धपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी

प्रार्थना–पत्र रास्ता नक्शा दुरूस्ती बाबत अन्तर्गत धारा 128, 129, 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
श्री भीकमचन्द कुमावत अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।

आदेश

दिनॉक 28/8/2023

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम सिन्धपुरा पटवार मण्डल हिराणी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1144/711 रकबा 1.1980 हैक्टर व खसरा नम्बर 1145/711 एवं खसरा नम्बर 1146/711 रकबा स्थित चली आ रही है, उपरोक्त भूमि में खसरा नम्बर 1146/711 जो कि रास्ते के नाम दर्ज चली आ रही है जबकि यह रास्ता मौके पर खसरा नम्बर 1144/711 के मध्य में प्रचलित है व तरमीम मौके पर खसरा नम्बर 1144/711 के पश्चिमी तरफ तरमीम हो गया है। उपरोक्त भूमि में प्रचलित रास्ता खसरा नम्बर 1146/711 जो कि मौके पर खसरा नम्बर 1144/711 के मध्य में चालू है जबकि तरमीम खसरा नम्बर 1144/711 के पश्चिमी सीमा पर हो गया है, जो कि गलत है जबकि होना चाहिए खसरा नम्बर 1144/711 में मध्य के मुताबिक वर्तमान में चलायमन है वही पर शुद्धि किया जाकर तरमीम किय जाना आवश्यक है, उपरोक्त भूमि का नक्शा इसमें तरमीम व रिकार्ड में सही किया जाने हेतु प्रार्थना–पत्र लाना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी की इस्तदुआ है कि ग्राम सिन्धपुरा तहसील कुचामन कि सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 1144/711 के पश्चिमी तरफ खसरा नम्बर ... तरमीम के स्थान पर उक्त खसरा नम्बर 1144/711 के मध्य तरमीम किया जाकर नक्शा दुरूस्ती व रिकार्ड किया जाने का आदेश तहसीलदार कुचामनसिटी को प्रदान करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:03:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. एक ने किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नही किया, अप्रार्थी सं. 2 की ओर से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत होकर शामिल मिसल उपलब्ध है। फर्द मौका रिपोर्ट 08.02.2023 अनुसार पटवारी हल्का ने कथन किया है कि ग्राम सिन्धपुरा के खसरा नम्बर 1144/711, 1145/711, 1145/711 का मौका देखा गया तथा नजरी नक्शा खसरा नम्बर 1145/711 रकबा 1.1980 हैक्टर भूमि रामपाल पुत्र भंवरलाल कुम्हार सा. सिन्धपुरा, खसरा नम्बर 1144/711 रकबा 1.1980 हैक्टर भूमि खेमाराम पुत्र भंवरलाल कुम्हार तथा खसरा नम्बर 1146/711 रकबा 0.0440 हैक्टर भूमि किस्म गै.मु.रास्ता उक्त दोनो खातेदारो की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है, वर्तमान में बिन्दू A से B मौके पर चालू रास्ता है दोनो खातेदार अपनी आपसी सहमति से बिन्दू B से C व C से D तक रास्ता करवाना चाहते है, मौके पर रास्ता का क्षेत्रफल 19 मीटर X 4 मीटर = 0.0076 हैक्टर + 110 मीटर X 4 मीटर = 0.0440 हैक्टर कुल रकबा 0.0516 हैक्टर है।

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। दोनो ही अधिवक्ता उपरोक्तानुसार रास्ता कायम करवाना चाहते है तथा खसरा नम्बर 1146/711 के स्थान पर उपरोक्त मौका रिपोर्ट अनुसार ही रास्ता कायम करवाकर राजस्व नक्शे में तरमीम करवाना चाहते है जिसकी पुष्टि उपलब्ध रेकार्ड मौका रिपोर्ट इत्यादि से होती है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया गया। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर निम्नवत आदेश दिये जाते है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम सिन्धपुरा पटवार मण्डल हिराणी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के खसरा नम्बर 1144/711 रकबा 1.1980 हैक्टर के मध्य से पटवारी हल्का हिराणी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनॉक 08.02.2023 अनुसार रास्ता कायम किया जावे तथा रास्ते की भूमि 0.0516 हैक्टर को संबंधित खातेदार के हिस्से में से कम करते हुए राजस्व नक्शे में तरमीम कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पटवारी हल्का हिराणी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट 08.02.2023 आदेश का भाग रहेगी। तहसीलदार कुचामनसिटी उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनॉक 28/8/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:03:15 IST
Reason: SelfAttested

(मनोज, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)